न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : बाबूलाल कोठारी, आई.ए.एस.

विभागीय अपील संख्या :— 02/2019

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
लदूसिंह पुत्र श्री गोरधन सिंह जाति राजपूत, उम्र 38 वर्ष, निवासी, भोजावास, तहसील मारवाड जंकशन, जिला पाली।		जिला कलक्टर (भू0अ0) पाली

अपील अंतर्गत नियम 23 राजस्थान असैनिक सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1958 विरुद्ध आदेश दिनांक 15.1.2018 द्वारा जिला कलेक्टर (भू0अ0) पाली बाबत सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित करने।

उपस्थिति :

1.अपीलान्ट स्वयं एवं अधिवक्ता श्री पर्वत सिंह उपस्थित।
2.विभागीय पैरोकार (तहसीलदार, (अ0र0) पाली) अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 9.4.2019

प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा जिला कलेक्टर, पाली को अवगत कराया गया कि श्री लादूसिंह तत्कालीन कार्यवाहक भू.अ. निरीक्षक माण्डा, हाल पटवारी माण्डा, तहसील मारवाड जंक्षन, जिला पाली द्वारा भू.अ. निरीक्षक के पद कार्यरत्त रहते हुए भू.अ. निरीक्षक वृत माण्डा के अन्तर्गत पटवार मण्डल, माण्डा,वोपारी, निम्बल, चिरपटिया की संवत 2073 रबी फसल जिन्सवार माह अप्रेल 2017 में भू.अ. पटवार मण्डल माण्डा, वोपारी, निम्बली, रिपटिया के ग्रामों मे शीतलहर एवं पाले से जीरा एवं ईसबगोल की फसल मे 100 प्रतिशत का खराबा होना बताया गया जबकि माह जनवारी एवं मार्च 2017 मे शीतलहर एवं पाले से खराबा नही होने की रिपोर्ट वॉटस्ऐप एवं दूरभाष पर तहसीलदार मारवाड जंक्शन को दी गयी, इस प्रकार विरोधाभाष सूचना दी गयी। इस संबंध मे तहसीलदार, मारवाड जंक्शन द्वारा जारी नोटिस का भी प्रत्युत्तर नही दिया गया। अतः श्री लादू सिंह तत्कालीन कार्यवाहक भू.अ. निरीक्षक माण्डा, हाल पटवारी

<u>विभागीय अपील/09/2019/लादूसिंह तत्कालानी भू.अ. निरीक्षक, माण्डा हाल पटवारी माण्डा बनाम जिला कलेक्टर, पाली</u>

माण्डा, के विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे। तहसीलदार, मारवाड जंक्शन की उक्त शिकायत पर जिला कलेक्टर, पाली द्वारा लादूसिंह भू.अ. निरीक्षक के विरूद्ध सी.सी.ए नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर ज्ञापन, आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र जारी किया गया। श्री लादूसिंह भू.अ. निरीक्षक द्वारा नोटिस का जवाब प्रस्तुत कर उस पर लगाये गये आरोप का विवरण सहित खण्डन किया गया । इसके बावजूद जिला कलेक्टर, पाली द्वारा उसका विवेचन किये बिना ही केवल अपीलान्ट को दोषी मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जबकि गिरदावरी पटवारी द्वारा तैयार की जाती है, जिसे भू.अ. निरीक्षक द्वारा इकजाई कर तहसीलदार को भिजवायी जाती है। तहसीलदार द्वारा संतुष्ट होने पर उक्त सूचना 7 डी रिपोर्ट मे जिला कार्यालय मे भिजवायी जाती है। यदि गिरदावरी मे कोई गलती हो तो सभी संयुक्त रूप से दोषी होने चाहिए। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय तथा भेदभाव की भावना से पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश अनुपातिक दृष्टि से त्रृटिपूर्ण होने से उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है।

अपीलान्ट स्वंय एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित। विभागीय पैरोकार अनुपस्थित है, अतः हमने जिला कलेक्टर, पाली द्वारा प्रेषित टिप्पणी का अवलोकन किया। अपीलान्ट का कथन है कि अपीलान्ट भू.अ. निरीक्षक माण्डा के पटवारियों द्वारा दिये गये जिंसवार को ही इकजाई कर तहसील मे पेश किया गया। तहसीलदार द्वारा संतुष्ट होने पर उक्त सूचना 7 डी रिपोर्ट मे जिला कार्यालय मे भिजवायी। यदि रिपोर्ट विरोधाभाष होती तो तहसीलदार 7 डी रिपोर्ट जिला कार्यालय नही भेजते। खराबे के संबंध पटवारी जब निगरदावरी करने जाता है तो संबंधित काश्तकारो, गांव के सरपंच मौतबीरान से पूछताछ के आधार पर जानकारी जुटाकर गिरदावरी मे प्रविष्टि दर्ज करता है। जिसे भू.अ. निरीक्षक द्वारा इकजाई कर तहसीलदार को भिजवायी जाती है। तहसीलदार द्वारा संतुष्ट होने पर उक्त सूचना 7 डी रिपोर्ट मे जिला कार्यालय मे भिजवायी जाती है। यदि गिरदावरी मे कोई गलती हो तो सभी संयुक्त रूप से दोषी होने चाहिए। जबकि संबंधित पटवारी एवं तहसीलदार के विरूद्ध जिला कलेक्टर, पाली द्वारा कोई कार्यवाही नही की गयी। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश त्रृटिपूर्ण एवं न्याय की दृष्टि से उचित नही होने से निरस्त फरमाया जावे।

यह है कि अपीलान्ट के पास कार्यवाहक भू.अ. निरीक्षक वृत माण्डा का चार्ज था। वर्त माण्डा के अन्तर्गत पटवार मण्डल माण्डा, वोपार, निम्बली व चिरपटिया आते है। जिसमे से जिला कलेक्टर, पाली द्वारा गठित कमेटी से पटवार मण्डल माण्डा व निम्बली की गिरदावरी की जांच करवायी गयी। जांच रिपोर्ट मे पटवार मण्डल माण्डा मे बाये गये रकबा एवं मौके

अनुसार पाये गये रकबे मे कोई अन्तर नही पाया गया। पटवार मण्डल निम्बली मे अवश्य बाये गये रकबा एवं मौके अनुसार पाये गये रकबे अवश्य थोडा अन्तर पाया गया। इस प्रकार कुल चार पटवार मण्डलों मे से केवल एक पटवार मण्डल निम्बली मे अन्तर पाया गया। जिसके लिए पटवारी निम्बला को दोषी ठहराना चाहिए था। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत नही होने से निरस्त फरमाया जावे।

यह है कि जिला कलेक्टर, पाली को कृषि अधिकारी मुख्यालय माण्डा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 6.4.2017 मे अवगत कराया कि पटवार मण्डल माण्डा व निम्बली की खसरा गिरदावरी सवंत 2073 की जांच की गई, जिसमे फसल का रकबा गिरदारी के अनुसार पाया गया तथा ग्राम के कृषकों से मौके पर पूछताछ करने पर पाया गया गया कि फसल का खराबा 70–80 प्रतिशत बताया गया। राजस्थान भू राजस्व (भूअभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत खराबा बाबत स्पष्ट निर्देश है कि 75 प्रतिशत से अधिक खराबा को गिरदावरी मे 100 प्रतिशत खराबा दर्ज करते है, उक्त रिपोर्ट के अनुसार 70–80 खराबा बताया गया है। इस प्रकार अपीलान्ट ने जो खराबा 100 प्रतिशत बताया है वह सही है। इस प्रकार अपीलान्ट पर आरोपित आरोप साबित ही नही है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार लापरवाही, उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना नही की है। गठित कमेटी द्वारा केवल पटवार मण्डल निम्बली मे बाये गये बोये गये रकबे व गिरदारी रकबे मे अन्तर बताया गया, जिसके लिए पटवारी, भू.नि. व तहसीलदार भी दोषी है तथा सहायक कृषि अधिकारी, मुख्यालय माण्डा द्वारा भी 70–80 प्रतिशत खराबा बताया गया है। इस आधार भी अपीलान्ट पर दोष सिद्ध नही होता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे अथवा जो भी आदेश श्रीमान उचित समझे दिया जावे।

हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा उल्लेखित किये गये अभिकथनों पर मनन किया। अपील के संलग्न साक्ष्य सबूतों, जॉच रिपोर्ट, जिला कलेक्टर कार्यालय के प्राप्त टिप्पणी, मूल अभिलेखों इत्यादि का अवलोकन किया। प्रकरण से सम्बन्धित समस्त परिस्थितियों का गहनता से अध्ययन करने के पश्चात यह तथ्य सामने आया है कि मुख्य रूप से अपीलान्ट पर यह आरोप है कि भू.अ.अभिलेख वर्त माण्डा के अन्तर्गत पटवार मण्डल माण्डा, वोपार, निम्बली व चिरपटिया आते है। जिसमे से जिला कलेक्टर, पाली द्वारा गठित कमेटी से पटवार मण्डल माण्डा व निम्बली की गिरदावरी की जांच करवायी गयी। जांच रिपोर्ट मे पटवार मण्डल माण्डा मे बाये गये रकबा एवं मौके अनुसार पाये गये रकबे मे कोई अन्तर नही पाया गया। पटवार मण्डल निम्बली मे अवश्य बोये गये रकबा एवं मौके अनुसार पाये

गये रकबे अवश्य अन्तर पाया गया। इस प्रकार कुल चार पटवार मण्डलों मे से केवल एक पटवार मण्डल निम्बली मे अन्तर पाया गया। इस प्रकार अपीलान्ट पर आंशिक रूप से आरोप सिद्ध होता है। पटवार मण्डल निम्बली की गिरदावरी पटवारी निम्बली द्वारा की गयी। अपीलान्ट का कथन है कि गठित कमेटी द्वारा केवल पटवार मण्डल निम्बली मे बाये गये बोये गये रकबे व मौके अनुसार पाये गये रकबे मे अन्तर बताया गया, जिसके लिए केवल भू. अ. निरीक्षक को दण्डित किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। साथ ही दिया गया दण्ड भी आनुपातिक दृष्टि से अधिक प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.1.2018 निरस्त किया जाता है। अपीलान्ट श्री लादूसिंह, तत्कालानी भू.अ. निरीक्षक पटवार वृत माण्डा हाल पटवारी माण्डा की पर्यवेक्षण कार्य मे उदासीनता एवं लापरवाही साबित होने से उनकी दो वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने के स्थान पर परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 9.4.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल कोठारी)
डिवीजनल कमिश्नर
जोधपुर

गये रकबे अवश्य अन्तर पाया गया। इस प्रकार कुल चार पटवार मण्डलों मे से केवल एक पटवार मण्डल निम्बली मे अन्तर पाया गया। इस प्रकार अपीलान्ट पर आंशिक रूप से आरोप सिद्ध होता है। पटवार मण्डल निम्बली की गिरदावरी पटवारी निम्बली द्वारा की गयी। अपीलान्ट का कथन है कि गठित कमेटी द्वारा केवल पटवार मण्डल निम्बली मे बाये गये बोये गये रकबे व गिरदारी रकबे मे अन्तर बताया गया, जिसके लिए नियमानुसार पटवारी, भू. नि. व तहसीलदार भी दोषी है। परन्तु केवल भू.अ. निरीक्षक को दोषी मानते हुए दण्डित किया जो, न्यायोचित नही है। अपीलान्ट की पर्यवेक्षण कार्य मे लापरवाही एवं उदासीनता साथ ही दिया गया दण्ड भी आनुपातिक दृष्टि से अधिक प्रतीत होता है। अतः समस्त तथ्यों परिस्थितियों पर विवेचन करने के पश्चात उचित होगा कि अपीलान्ट को वेतन वृद्धियां रोकने के दण्ड से दण्डित नही किया जाकर कार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता के लिए परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.1.2018 निरस्त किया जाता है तथा अपीलान्ट की दो वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने के स्थान पर परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 9.4.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल कोठारी)
डिवीजनल कमिश्नर
जोधपुर